Volume: 1 Issue: 7 Pages: 22-25

International Journal of Research in Academic World

E-ISSN: 2583-1615
Impact Factor: 4.714

Received: 21/February/2022 Int. J Res. Acad. World. 2022; 1(7):22-25 Accepted: 30/March/2022

पर्यावरण और पर्यावरणसंबधित कानून–एक समाजषास्त्रीय अध्ययन

*[1] डॉ.पुरूषोत्तम रा. बांडे

*[1]समाजशास्त्र विभाग जिजामाता कला महाविद्यालय, दारव्हा, जि.यवतमाळ, महाराष्ट्र, भारत

सारांश

पर्यावरण असंतुलन से पहले भी कई संकट आये किंतु आज का संकट बहुत ही विनाशकारी है। इसका प्रमुख कारण प्रकृत्ति दोहन की भावना है, जो आज के युग की मुख्य प्रवृत्ति बन चुकी है। औद्योगिकरण और जनसंख्या का नगरीय केंद्रीयकरण आज विकास के मूल संकेत है। विकास की राहको बंद नही किया जा सकतां। हमें पर्यावरण की रक्षा का दायित्व और संस्कृति की जींवीत तत्वों की मर्यादा को स्विकार कर विकास और विनाश दोनों को नियंत्रित कर सकते है। मानव और प्रकृत्ति अथवा पर्यावरण का अटूट संबंध है। उसके संसाधन हमारे लिए जरूरी है। पर पृथ्वी की क्षमताएँ सीमित है। और मानव की दोहन और भोग की आकांक्षाएँ असीमित है। उनको सीमामें बॉधने की जरूरत है। पर्यावरण के प्रति भौतिक अथवा वैज्ञानिक दृष्टी काफी नही है। उसके प्रति सांस्कृतिक अभिगम भी जरूरी है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान रखा है। 05 जून 1972 के स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद ही हमारे देश में पर्यावरण संबंधी कई अधिनियम पारित हुए । जैसे की वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972, जल प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण,1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एंव नियत्रंण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि अधिनियम के साथ–साथ कई अन्य अधिनियम भी पारीत हुये है। इन विभिन्न अधिनियम के आधारपर वन्य जिवो की परिभाषाको निश्चित किया गया, वन्य जीवन समिति के कार्य, कर्तव्य एंव शक्तीको निर्धारण हुआ, विलुप्त होते वन्य जाती के शिकारपर प्रतिबंध लगाया गया, विलुप्त पेड/पौदे का संरक्षण को बढावा दिया, राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यो की स्थापना को महत्व दिया गया, केंद्रीय चिडीयाघर का प्रावधान किया गया, व्यवसायिक दृष्टीसे कुछ वन्य जाती का परवाना देणे का प्रावधान किया गया, अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने व सजा का प्रावधान किया गया। पर्यावरण का पूर्णरूप से संरक्षण करणे हेतू विभिन्न कानुनव्दारा प्रयास किये गये है। इसमे कुछ कानुन कॉफी असरदार रहे, तो कुछ कानुन में कमियॉ होने के कारण केवल कागजपर ही बने रहे।

मूल शब्दः पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक प्रावधान/कानून

प्रस्तावना

प्रकृति के साथ मनुष्य का प्रारंभिक परिचय सीमित रहा है। किंतु धीरे–धीरे संग्रह की वृत्ति के विकास के साथ बीज, वनस्पती, पशुओं को लेकर उसके ज्ञान और लोभ दोनों में वृध्दि हुई है। पर्यावरण असंतुलन से पहले भी कई संकट आये किंतु आज का संकट बहुत ही विनाशकारी है। इसका प्रमुख कारण प्रकृत्ति दोहन की भावना है, जो आज के युग की मुख्य प्रवृत्ति बन सुकी है। औद्योगिकरण और जनसंख्या का नगरीय केंद्रीयकरण आज विकास के मूल संकेत है। विकास की राहको बंद नही किया जा सकतां, किंतु उनमें हम कितना भटक सकते हैं; इसकी चिंता तो हमें करनी होगी।

हमें पर्यावरण की रक्षा का दायित्व और संस्कृति की जींवीत तत्वों की मर्यादा को स्विकार कर विकास और विनाष दोनों को नियंत्रित कर सकते है। मानव और प्रकृत्ति अथवा पर्यावरण का अटूट संबंध है। उसके संसाधन हमारे लिए जरूरी है। पर पृथ्वी की क्षमताएँ सीमित है। और मानव की दोहन और भोग की आकांक्षाएँ असीमित है। उनको सीमामें बॉधने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कब तक भौतिक साधन हमारी भोगपरक आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे?

पर्यावरण के प्रति भौतिक अथवा वैज्ञानिक दृष्टी काफी नही है। उसके प्रति सांस्कृतिक अभिगम भी जरूरी है। धरती का हरा–भरा होना बेहद् जरूरी है। जीवाश्म इंधन का प्रयोग कम करके वायु मंडल में कार्बनडॉय–ऑक्साईड की वृध्दीपर नियंत्रण किया जा सकता है। वन विनाशको

***Corresponding Author:** डॉ.पुरूषोत्तम रा. बांडे

पुरी तरह से रोखकर वृक्षारोपन को प्रोत्साहन दिया जाएँ। वायुमंडल में यही कार्बनडॉय–ऑक्साईड है जो धरती की उष्मा को अंतरिक्ष में नही जाने देता और उस उष्मा को रोखकर वापस धरती पर भेज देता है । पर्यावरण प्रदूषण आज और कल कि महज समस्या होने के कारण इसपर अध्ययन होना आवश्यक है। इसीलिऐ इस विषय का चुनाव किया गया है।

अनुसन्धान के उद्देश्य

1. पर्यावरण प्रदूषण की संकल्पणा को समझना।
2. पर्यावरण संरक्षण के विविध अधिनियमों का अध्ययन करणा।
3. पर्यावरण संरक्षण के विविध अधिनियमों की कमियों का अध्ययन करणा।
4. पर्यावरण संरक्षण के अधिनियमों की कमिया दुर करणे के सुझाव का अध्ययन करणा।
5. उपरोक्त उद्देश्य से अध्ययन किया गया है।

अनुसंधान कि प्रविधी (Research Method)

इस शोध कार्य को वैज्ञानिक दृष्टीकोण से पुरा करणे के लिये वर्णनात्मक शोध डिझाइन का चयन किया गया। जिसमे पर्यावरण प्रदुषण रोखने के लिए किये गये कानुन का अध्ययन एंव वर्णन के लिऐ साहित्य सर्वेक्षण किया गया। संदर्भग्रंथ, वर्तमानपत्र, मासिक, शोधपत्रिका इस द्वितीय सामुग्री के माध्यम से तथ्य को संकलित करके शोधनिबंध को पुरा करने का प्रयास किया गया ळें

भारत विश्व का पहला ऐसा देश जिसने अपने संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का प्रावधान रखा है। 05 जून 1972 के स्टॉकहोम में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण की चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरपर की गई और तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन के बाद ही हमारे देश में पर्यावरण संबंधी कई अधिनियम पारित हुए । जैसे की वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, 1972, जल प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण,1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एंव नियत्रंण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आदि अधिनियम के साथ–साथ कई अन्य अधिनियम भी पारीत हुये है।

पर्यावरण संबंधित संवैधानिक प्रावधान

सन 1976 में संशोधन व्दारा संविधान में निम्नलिखीत पर्यावरण से संबधी प्रावधान सम्मिलित कियं गऐ।

1) धारा 48–ए के अनुसार: यह देश पर्यावरण के सुधार व संरक्षण के लिए तथा देश के वनों व वन्य–जीवन की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबध्द होगा।

धारा 51–ए(जी)के अनुसार–देश के हर नागरीक का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके प्राकृत्ति पर्यावरण, जिसके इसके वन, झीलें, नदियॉ व वन्य जीवन शामिल है की रक्षा व सुधार करेगा तथा हर प्रकार के जीव के प्रति संवेदनशील होगा। हमारे भारत देश में पर्यावरण संबधीत होत से अधिनियम पारित किये है। जिनमें से कुछ अधिनियम निम्नलिखीत है।

2) वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम,1972

इस अधिनियम के तहत वन्य जीवन को राज्य सूची से संघसूची में स्थानान्तरीत करके केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की स्थापना हुई थी और वर्ष 1972 में इस अधिनियम के पारित होने के बाद बोर्डव्दारा वन्य जीवन संरक्षण के लिए अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बनाये गये। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नकार्य–कलापों का प्रावधान है।

1. वन्य जीवन संबंधी परिभाषा निश्चित करता है।
2. वन्य जीवन समिति के कार्य, कर्तव्य एंव शक्तीको निर्धारित करता है।
3. विलुप्त होते वन्य जाती के शिकारपर प्रतिबंध लगाया।
4. विलुप्त पेड/पौदे का संरक्षण करना।
5. राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यो की स्थापना करना।
6. केंद्रीय चिडीयाघर का प्रावधान किया गया।
7. व्यावसायिक दृष्टीसे कुछ वन्य जाती का परवाना प्रधान करना।
8. अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने व सजा का प्रावधा किया गया।

3) वन्य संरक्षण अधिनियम,1980

यह अधिनियम जम्मू–काश्मीर को छोडकर देश के अन्य सभी भागों में मान्य है। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य इस प्रकार है–

1. राज्य सरकार कानुनो का उपयोग केवल वानिकी कार्यो के लिए करेगी, अन्य कार्य के लिए केंद्रसरकार से अनुमति लेनी होगी।
2. सलाहकार समिति को वन संरक्षण के लिए उचित धनराशी उपलब्ध कराएगी।
3. वानिकी से अलग काई अवैध कार्य होतो तुरंत उसे रोक देने का प्रावधान है।

इस अधिनियममें 1992 में कुछ संशोधन किये गये जिसमें निम्नपरिवर्तन इस प्रकार से दिखाई देते है।

1. वन के भितर कोई कार्य करना है तो केंद्रीय सरकार की अनुमती लेना।
2. चाय, कॉफी, मसाले, रबड आदिको अवानिकी माना गया है।
3. फलवृक्ष या औषधी वृक्ष लगाने के लिए वहा के पेडो को काटना मना है। ऐसा करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमती लेना।
4. रेशम किडे पालन करने के लिए विविध प्रकार की पेडो का उपयोग करे, ताकी संतुलन बना रहे।
5. वन के अंदर खनन को गैरवानिकी माना गया है।
6. इस अधिनियम को वनो की विविध को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है।

4) जलप्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण अधिनियम,1976

इस अधिनियम के व्दारा देश में जल का प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण करके उसे स्वच्छ बनाये रखने का प्रयास किया गया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में प्रमुख तथ्य निम्न है।

1. भुमिगत व सतही जलस्त्रोतों की गुणवत्ता बनाये रखणे का प्रावधान है।
2. केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना और कार्य एंव शक्तीका निर्धारण किया गया।
3. बोर्ड के अनुदान, बजेट, लेखा–जोखा आदि का प्रावधान किया गया।
4. उल्लंघन हेतू जुर्माना और सजा का प्रावधान का निर्धारण किया गया है।

5) वायु प्रदूषण निवारण एंव नियंत्रण अधिनियम, 1981

1. इस कानुन के अंतर्गत वायु प्रदूषण को रोकने का प्रावधान है। धारा 21 तथा 22 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या उद्योग या संस्थान यदि बोर्डव्दारा निर्धारित मानको जे अधिक प्रदूषण होता है तो उसे कानूनन अपराधा माना जायेगा। उसके लिए 3 ते 6 महीने की कैद अथवा जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
2. प्रदूषण जाच व फैसला देने का अधिकार का प्रावधान है।
3. वर्ष 1987 में वायु प्रदूषण में ध्वनी प्रदूषण को शामिल किया गया।
4. अनुच्छेद 20 के तहत मोटार गाडियों व्दारा निकलने वाले धुएँ से होनेवाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण का प्रावधान है।
5. अनुच्छेद 19 के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियत्रंण क्षेत्र' घोषीत कर सकता है।

6) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम,1986

यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को हमारे देश की पूर्वप्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिनपर कार्यान्वित किया गया। इस अधिनियम में कुछ महत्व पूर्ण बांते यहॉ दी जार ही है।

1. पर्यावरण में जल, वायु, धरती, मनुष्य और अन्य जीवों से संबंध को सम्मिलित किंया गया।
2. पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ ठोस, द्रव या गैसीय वस्तु की इतनी मात्र जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो।

यह कानुन पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए किंया गया है। इसमें जल प्रदुषण, वायुप्रदूषण, मृदा प्रदुषण से संबधित घटको की मात्रा को निर्धारित किंया गया है। 1994 में पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986 में संशोधन करके अन्य परियोजना का प्रावधान किंया गया।

पर्यावरण से संबधित कानुन में कमियॉ

अ) वन्य जीवसुरक्षा अधिनियम 1972 की कमियॉ

इस कानुन में निम्नलिखीत कमियॉ है–

1. इसमें स्थानिय लोगों के संरक्षण के उपायों को शामिल नही किया गया है।
2. बाघ, चिता जैसे अन्य प्राणी के खाल का स्वामित्व इस अधिनियम दिया गया, जिससे अवैध व्यापार हो रहा है।
3. खाल की तस्करी को जम्मु–काश्मिर जैसे राज्यो में बढावा मिल रहा है।
4. अपराधी को दि जानेवाली सजा अधिक कडी नही है।

ब) वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 की कमियॉ

1. इस अधिनियम में स्थानिय लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया है।
2. इस अधिनियम के सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जिसके कारण केंद्र सरकार को स्थानिक स्तर पर काम करणे बाधा आती है। राज्य सरकार अवैध काम पर रोख लगा नही सकती।
3. आदिवासी लोग मूलवनों से वंचित होने कारण हिंसा, अवैध शिकार आदि करते हैं। जिससे वन संरक्षण को चोट पहुॅचती है।

क) प्रदूषण संबंधी अधिनियमों की कमियॉ

1. अधिकतर अधिकार केंद्रीय सरकारको दे जाने से राज्य सरकार स्वंय को असमर्थ पाती है। जिससे नियंत्रण प्रधान करणा कठीण होता है।
2. अपराधी को दि जानेवाली बहोत ही कम है।
3. मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया आपने आप में बडी जटील और लंबी होने के कारण प्रभाव कायम नही रहता है।
4. प्रस्तुत पर्यावरण से संबंधित अधिनियम में कुछ कमियॉ है। इस कमियो को दूर करके फिरसे संशोधित अधिनियम को लागु किया गया तो काफी हद तक पर्यावरण संरक्षण किया जा सकजा है।

संक्षिप्त

औद्योगिकरण और जनसंख्या का नगरीय केंद्रीयकरण आज विकास के मूल संकेत है। विकास की राहको बंद नही किया जा सकतां, किंतु हम उनमे कितना भटक सकते हैं; इसकी चिंता तो हमें करनी होगी। हम पर्यावरण की रक्षा का दायित्व और संस्कृति की जींवीत तत्वों की मर्यादा को स्विकार करके विकास और विनाश दोनों को नियंत्रित कर सकते है। मानव और प्रकृत्ति अथवा पर्यावरण का अटूट संबंध है। उसके संसाधन हमारे लिए जरूरी है। पर पृथ्वी की क्षमताएँ सीमित है। और मानव की दोहन और भोग की आकांक्षाएँ असीमित है। उनको सीमामें बॉधने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नही करेंगे तो कब तक भौतिक साधन हमारी भोगपरक आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे? यह भी हमें अच्छी तरह समज लेना चाहीऐं।

संदर्भ सूची

1. सिंह जगदीश–पर्यावरण एक समाजशास्त्रीय अध्ययन,तेज प्रकाशन, नई दिल्ली–110002
2. सक्सेना डॉ.के.के.–पर्यावरणीय अध्ययन,यूनिवर्सिटी बुक हाउस(प्रा)लि.जयपूर.03
3. रावत ज्ञानेन्द्र–पर्यावरण विकास और यर्थार्थ,श्री नटराज प्रकाशन दिल्ली–110053
4. सांगळे शैलजा–पर्यावरण आणि समाज,डायमंड पब्लिकेशन,पूणे
5. उमाठे रमेश–पर्यावरणशास्त्र,विसा बुक्स,नागपूर–440033
6. पाटील डॉ.व्ही.जे.–पर्यावरण भूगोल,प्रषांत पब्लिकेषन,जळगाव 425001